[1][CHAPTER XIII]

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO SMART CARD

13.1. Driving licence on smart card.– (1) Where the Licencing Authority has necessary apparatus for the issue of smart card type driving licence, such driving licence shall be issued on smart card in Form 7. In respect of renewal, addition of category, address change, issue of duplicate licence and entry of driver's badge of all previously issued driving licences in Form 6 and Form 7 (not on smart card), shall also be made only on smart card in Form 7.

(2) The state register of driving licences shall be maintained in electronic mode.

13.2. Conductor's licence on smart card.– (1) Where the Licencing Authority has necessary apparatus rfor the issue of smart card type conductor's licence, such conductor's licence shall be issued on smart card in Form R.S. 13.1. In respect of renewal, address change, issue of duplicate licence and entry of conductor's badge of all previously issued conductor's licences in Form R.S. 3.3 shall also be made only on smart card in Form R.S. 13.1.

13.3. Registration certificate on smart card.– (1) The certificate of registration for all categories of Motor Vehicles registered in Rajasthan shall be issued by Registering Authority in Form 23A from such date as notified by the State Government for this purpose under rule 48 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The certificate of registration for vehicles registered prior to the above notified date, shall be issued in Form 23A whenever such vehicles undertake applications in respect to renewal of registration, duplicate certificate of registration, transfer of ownership, change of residence, endorsement or termination of hire-purchase agreements, alteration in Motor Vehicles, issue or renewal of fitness certificate and duplicate fitness certificate.

(2) The State Register of Motor Vehicles shall be maintained in electronic mode.

13.4. Permit on Smart card.– All permits issued in the forms/formats prescribed in rule 5.9 and authorisations in respect to tourist permits and national permits except special permits granted under section 88 (8) of the Motor Vehicles Act, 1988 shall be issued on smart card related to registration certificate (Form 23A). All applications relating to renewal, duplicate, replacement, counter-signature, curtailment or extension of the route, change in service, transfer of ownership and surrender/cancellation shall be made on smart card (Form 23A)

13.5. Issuance of hard copy (paper based document) with smart card.– Hard copy of complete document entered in the smart card shall also be provided first time to the card holders free of cost :

Provided that duplicate copy of hard copy shall be issued on payment of fee as specified by the State Government.]

---

1. Ins. by Noti. No. F. 7(4) Pari/Rules/Hq./92, dated 20.6.2005 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-ord., Pt. 4(Ga)(I), dated 20.6.2005).

[1][अध्याय—13

स्मार्ट कार्ड सम्बन्धी विशेष उपबन्ध

13.1. स्मार्ट कार्ड पर चालन अनुज्ञप्ति.— जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास स्मार्ट कार्ड प्रकार की चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये आवश्यक साधित्र हो वहां ऐसी चालन अनुज्ञप्ति प्ररूप 7 में स्मार्ट कार्ड पर जारी की जायेगी। प्ररूप 6 और प्ररूप 7 में पूर्व में जारी सभी चालन अनुज्ञप्तियों (जो स्मार्ट कार्ड पर नहीं है) के नवीकरण, प्रवर्ग में परिवर्धन, पते में परिवर्तन, अनुलिपि जारी करने और ड्राइवर के बैज की प्रविष्टि भी प्ररूप 7 में स्मार्ट कार्ड पर ही की जायेगी।

(2) चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर इलेक्ट्रानिक पद्धति से रखा जायेगा।

13.2. स्मार्ट कार्ड पर कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति.— (1) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास स्मार्ट कार्ड प्रकार की कण्डक्टर अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये आवश्यक साचित्र हो वहां ऐसी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्ररूप आर.एस. 13.1 में स्मार्ट कार्ड पर जारी की जायेगी। प्ररूप आर.एस. 3.3 में पूर्व में जारी सभी कण्डक्टर अनुज्ञप्तियों के नवीकरण, पते में परिवर्तन, अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने और कण्डक्टर के बैजों की प्रविष्टि भी प्ररूप आर.एस. 13.1 में स्मार्ट कार्ड पर ही की जायेगी।

13.3. स्मार्ट कार्ड पर रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र.— (1) राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत सभी प्रवर्गों के मोटर यानों के लिये रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 23—क में ऐसी तारिख से जारी किये जायेंगे जो राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 48 के अधीन अधिसूचित करे। उपयुक्त अधिसूचित दिनांक के पूर्व रजिस्ट्रीकृत यानों के लिये रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र प्ररूप 23क में तब जारी किया जायेगा जब ऐसे यान, रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र की दूसरी प्रति, स्वामित्व का अन्तरण, निवास का परिवर्तन, अवक्रम करारों का पृष्ठांकन या समापन, मोटर यानों में परिवर्तन, ठीक हालत में होने के प्रमाण—पत्र जारी करने या नवीकरण करने और ठीक हालत में होने के प्रमाण—पत्र की दूसरी प्रति के सम्बन्ध में आवेदन करें।

(2) मोटर यानों का राज्य—रजिस्टर इलेक्ट्रानिक पद्धति से रखा जायेगा।

13.4. स्मार्ट कार्ड पर परमिट.— नियम 5.9 में विहित प्ररूपों/रूपविधानों में जारी सभी परमिट और पर्यटन परमिटों के सम्बन्ध में प्राधिकार और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अधीन मंजूर विशेष परमिट के सिवाय राष्ट्रीय परमिट, रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र, (प्ररूप 23—क) सापेक्ष स्मार्ट कार्ड पर जारी किये जायेंगे। नवीकरण, दूसरी प्रति, प्रतिस्थापन, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग में कमी या विस्तार, सेवा में परिवर्तन, स्मावित्व का अन्तकरण और अभ्यर्पण/रद्दकरण स्मार्ट कार्ड (प्ररूप 23—क) पर किये जायेंगे।

13.5. स्मार्ट कार्ड साथ हार्ड प्रति (कागज पर आधारित दस्तावेज) का जारी किया जाना— स्मार्ट कार्ड में प्रविष्ट की गयी सम्पूर्ण दस्तावेज की हार्ड प्रति कार्ड धारकों को प्रथम बार निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी :

परन्तु हार्ड प्रति की दूसरी प्रति ऐसी फीस के संदाय पर जारी की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाये।]

---

1. अधि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./92, दिनांक 20.6.2005 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(1) दिनांक 20.6.2005 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।